

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/136545/BJN/BIJNOR/959/CFO

दिनांक: 13-11-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MARY AND JESUS CONVENT SCHOOL AT VILL MANDORI TEHSIL DHAMPUR DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता -,DHAMPUR TO MORADABAD ROAD,SEOHARA तहसील - DHAMPUR जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	3	0	13.35 mt.

तथा प्लॉट एरिया **11440.00sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MARY AND JESUS CONVENT SCHOOL AT VILL MANDORI TEHSIL DHAMPUR DISTT BIJNOR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **19-11-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **CLEMENT SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-11-2024** से **21-11-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : उक्त भवन को पत्राक-स -5/सी ऍफ ओ-(स्कूल)-136-2012 दिनांक 22-08-2012 द्वारा अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। जिसका नवीनीकरण UID NO-UPFS-2021-39223-BJN-BIJNOR-274-CFO DATE 27-10-2021 द्वारा किया गया है। उक्त अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण शासनादेश सं0-18/छ:-पुं-8-2022/905-34-201टी०सी० दिनांक 07-01-2022 व उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों एवं FSSO नगीना/धामपुर की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किया जाता है। उ० प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 40(5) के अनुसार सेटबैक का आंकलन नहीं किया जा रहा है सेटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(AJAY KUMAR SHARMA)

[D8EA1A49D02BE05517D3180119D7E88BB2365486]

21-11-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-11-2024

स्थान : BIJNOR